सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति
(2021-2022)

सत्रहवीं लोकसभा

79

उनासीवां प्रतिवेदन

[राष्ट्रीय शीत-श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के संबंध में अपने 39वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

(04.04.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
अप्रैल 2022/ चैत्र,1944(शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की सरंचना (2021-2022)		(iii)
प्राकथन		(v)
प्रतिवेदन	राष्ट्रीय शीत-श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के संबंध में अपने 39वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	**1**

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I	समिति द्वारा अपने 39वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर।	3
परिशिष्ट-II	समिति की 22.03.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही का सारांश का उद्धरण	9

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का गठन

लोकसभा

(2021-2022)

श्री रितेश पांडेय - **सभापति**

सदस्य

2. डॉ शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भरत
4. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
5. श्री पल्लव लोचन दास
6. श्री चौधरी मोहन जटुआ
7. अली केसर महबूब चौधरी
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. सुन्दर प्रसाद दस - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारदवाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर राष्ट्रीय शीत-श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी),नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में 39वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में समिति द्वारा की- गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 79वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति का 39वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) लोकसभा में 10.08.2021 को प्रस्तुत किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) ने 18.11.2021 को अपने 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रस्तुत किया । समिति ने 22.03.2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. समिति लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा महत्वपर्ण सहायता प्रदान करने के लिए उनकी सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
28 मार्च, 2022
7 चैत्र ,1944 (शक)

रितेश पांडेय
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022), लोक सभा</u>
<u>प्रतिवेदन</u>

समिति का यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति द्वारा अपने 39वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा), जो राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी), नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 से 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले से संबंधित था और जिसे दिनांक 10.08.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में है।

2. समिति ने अपने 39वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में 03 टिप्पणियाँ/सिफ़ारिशें की थीं। उक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार से की-गई-कार्रवाई उत्तर प्राप्त हो गए थे। तदनुसार, 39वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण **<u>परिशिष्ट-I</u>** में दिया गया है।

3. समिति नोट करती है कि उप-नियमों में संशोधन हेतु समिति द्वारा अपने मूल प्रतिवेदन (एनसीसीडी, नई दिल्ली से संबंधित) में की गई सिफारिशों पर एनसीसीडी ने सकारात्मक रूप से कार्य किया और इस प्रकार वित्त वर्ष की समाप्ति

के नौ माह के भीतर संसद के पटल पर अपने वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को रखा जाना सुनिश्चित किया।

समिति यह भी नोट करती है कि एनसीसीडी द्वारा वर्ष 2020-2021 के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा गया है।

4. समिति अपनी सिफारिशों को कार्यान्वित करने में एनसीसीडी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है और आशा करती है कि एनसीसीडी के आवश्यक दस्तावेजों को आगे से प्रति वर्ष निर्धारित समय के भीतर संसद के पटल पर रखा जाएगा। समिति चाहती है कि एनसीसीडी के उप-नियमों में किए गए परिवर्तनों को लागू किया जाये और मंत्रालय/एनसीसीडी द्वारा इस संबंध में आगे की गई कार्रवाई से उसे अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली **रितेश पांडेय**
22 मार्च, 2022 **सभापति**
1 चैत्र ,1944 (शक) **सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**
लोक सभा

<u>परिशिष्ट-I</u>

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 02)

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोक सभा), सत्रहवीं लोक सभा के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों / टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

<u>राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी)</u>

<u>सिफ़ारिश क्र. सं.: 17</u>

समिति यह नोट करके निराश है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) ने राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी) के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाया है, क्योंकि यह सुनिश्चित करना नोडल मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले सभी संगठन/संस्थाएं इत्यादि, वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखपरीक्षित लेखाओं को समय से संसद के समक्ष रखने संबंधी नियमों का पालन करें।

समिति यह नोट करके बहुत निराश है कि मंत्रालय ने न केवल एनसीसीडी के वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को 07 माह से 06 वर्ष और 07 माह के अत्यधिक विलंब के साथ 30.07.2019 को लोक सभा के सभा पटल पर रखा, बल्कि उक्त सात वर्षों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए लेखापरीक्षकों से कराने की बजाय निजी लेखापरीक्षकों से करा कर संसद के समक्ष रखा। इसके अलावा, समिति को यह भी बताया गया कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अप्रैल/मई, 2019 में 5 वर्षों की अवधि अर्थात वर्ष 2013-14 से 2017-18 के

लिए एनसीसीडी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की थी, और सिंतबर, 2019 में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया। तथापि, उस समय तक, वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को पहले ही संसद के समक्ष रख दिया गया था। यह, जीएफआर नियमों और सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की सिफारिशों का पूर्ण उल्लंघन है। इसके अलावा, वर्ष 2018-2019 के आवश्यक दस्तावेजों को अब 13 माह से अधिक के विलम्ब से सभा पटल पर रखा गया है, जो सचिव द्वारा साक्ष्य के दौरान दिए गए आश्वासन के विरुद्ध है।

अतः, समिति मंत्रालय को सख्त निदेश देती है कि एनसीसीडी के वर्ष 2019-20* के लंबित दस्तावेजों को यथाशीघ्र सभा पटल पर रखा जाए और भविष्य में आवश्यक दस्तावेजों को समय पर सभा पटल पर रखना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा, समिति, इसकी स्थापना के समय से शेष सभी वर्षों के लिए एनसीसीडी के लेखाओं की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से लेखापरीक्षा कराने और ऐसे सभी लंबित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को बिना किसी और विलंब के संसद के समक्ष रखने का भी मंत्रालय को निर्देश देती है।

समिति, इस मामले में मंत्रालय के उदासीन रवैये से अप्रसन्न है, और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए उन्हें अधिक सतर्क रहने हेतु सख्त निर्देश देती है।

---

*वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे दिनांक 9.3.2021 को सभा पटल पर रखे गए हैं।

सरकार का उत्तर

एनसीसीडी को अपना कॉर्पस स्थापित करने के लिए मार्च/अप्रैल, 2012 में डीए एंड एफडब्ल्यू/एनएचबी से 25 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान मिला था। इसके बाद एनसीसीडी को अपने खर्च के लिए कोई वार्षिक अनुदान की जरूरत नहीं थी। इस प्रकार, प्रारंभ में एनसीसीडी यह समझ रहा था कि एनसीसीडी की वार्षिक रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले की बाद में वर्ष 2017-2018 में आई.एफ.डी के परामर्श से डीए एंड एफडब्ल्यू द्वारा जांच की गई थी और एनसीसीडी को विभाग द्वारा स्थापना के बाद से वर्ष 2011-12 से वर्ष 2017-18 तक अपनी वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की सलाह दी गई थी। तदनुसार, एनसीसीडी की शासी परिषद द्वारा दिनांक 21.12.2018 को आयोजित बैठक में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्टों को मंजूरी दी गई और फिर दिनांक 30.7.2019 को सभा पटल पर रखा गया। जैसा कि वांछित है, एनसीसीडी. के जवाबों के साथ वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए सीएजी रिपोर्ट दिनांक 25.9.2020 को प्रस्तुत की गई थी।

एनसीसीडी ने दिनांक 4.3.2020 को माननीय समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य के दौरान यह बताया था कि वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 अप्रैल,2020 तक प्रस्तुत की जाएगी। हालांकि, दिनांक 2.3.2020 को बुलाया गया संसद सत्र, महामारी की स्थिति के कारण दिनांक 22.3.2020 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अप्रैल,2020 में कोई सत्र नहीं हुआ था। इस प्रकार, एनसीसीडी द्वारा अगले सत्र में दिनांक 22 9.2020.को वार्षिक रिपोर्ट सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी।

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 को दिनांक 31.12.2020 तक रखना आवश्यक था। हालांकि, महामारी की स्थिति के कारण दिसंबर,2020 में संसद सत्र नहीं बुलाया गया था, और इसलिए वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 को अगले सत्र में दिनांक 4.3.2021 को सभा पटल पर रखा गया।

एनसीसीडी का बहुत छोटा सेट अप है। हमने उन्हें सतर्क किया और भविष्य में निर्धारित समय के भीतर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

समिति के निर्देशानुसार, डीए एंड एफडब्ल्यू ने दिनांक 12.10.2021 को आर्थिक *कार्य* विभाग (बजट प्रभाग) से अनुरोध किया है कि सीएजी से अनुरोध किया जाए कि वह *एनसीसीडी की* स्थापना के बाद से शेष वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 (सीएजी पहले ही 5 वर्ष 2013-14 से 2017-18 की लेखापरीक्षा कर चुका है) *की* लेखापरीक्षा करे। एनसीसीडी के जवाबों के साथ सीएजी कार्यालय से प्राप्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी।

सचिवालय को अग्रेषित किए गए संप्रेषण का विवरण :

1. का.ज्ञा.सं.: एच.25011/2/2019-एम-आई, दिनांक 26.07.2019
2. का.ज्ञा.सं.: 51-30/2014-एनसीसीडी, दिनांक 21.09.2020
3. का.ज्ञा.सं.: 51-30/2014-एनसीसीडी, दिनांक 01.03.2021

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग - का.ज्ञा.सं. एफ.सं. 51-30/2014-एनसीसीडी, दिनांक 18 नवम्बर, 2021)

सिफ़ारिश क्र. सं.: 18

समिति को मंत्रालय द्वारा यह भी बताया गया था कि एनसीसीडी के आवश्यक दस्तावेजों को संसद के समक्ष रखने में विलंब हुआ क्योंकि एनसीसीडी के उप नियम में लेखाओं को रखने का कोई उल्लेख नहीं था, और यह कि एनसीसीडी को यह जानकारी नहीं थी कि वार्षिक प्रतिवेदनों को संसद की दोनों सभाओं में रखना होता है।

समिति, मंत्रालय/एनसीसीडी को जीएफआर नियम 238(6) और लोक सभा की सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की पूर्व की सिफारिशों के अनुसार, एनसीसीडी के उप नियमों में आवश्यक संशोधन (नों) करने का निदेश देती है।

सरकार का उत्तर

जैसा कि जी.एफ.आर 238(6) में निर्धारित है, एनसीसीडी के उप-नियमों को उप-नियमों में पैरा 12 (सात) के बाद खंड 12 (आठ) को शामिल करके इस प्रकार संशोधित किया जा रहा है:

12 (आठ)- केन्द्र की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

इस प्रस्ताव को एनसीसीडी की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) की अगली बैठक में रखा जाएगा और फिर अधिसूचना के लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज, गुरुग्राम को भेजा जाएगा।

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग - का.ज्ञा.सं. एफ.सं. 51-30/2014-एनसीसीडी, दिनांक 18 नवम्बर, 2021)

सिफ़ारिश क्र. सं.: 19

समिति, मंत्रालय पर यह नोट करने का पुरजोर दबाव डालती है कि वह अपरिहार्य कारणों से अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत संगठनों/संस्थाओं इत्यादि के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले में, आवश्यक दस्तावेजों को विहित अवधि के अंदर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाला एक विवरण निश्चित रूप से 30 दिनों के अंदर सभा पटल पर रखे, जैसाकि समिति द्वारा अपने पूर्व के प्रतिवेदनों में सिफारिश की गई थी।

सरकार का उत्तर

हमने निर्देशों को नोट कर लिया है, अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर क्यों नहीं रखे जा सके, इसका कारण बताते हुए एक विवरण, जब भी आवश्यक हो, निर्दिष्ट अवधि के 30 दिनों के भीतर सभा पटल पर रखा जाएगा।

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग - का.ज्ञा.सं. एफ.सं. 51-30/2014-एनसीसीडी, दिनांक 18 नवम्बर, 2021)

*****

परिशिष्ट-दो

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022)

समिति की 22.03.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही का सारांश का उद्धरण

समिति की बैठक, मंगलवार, 22 मार्च 2022 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कक्ष ' ख', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री रितेश पांडेय - सभापति

सदस्य

2. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
3. श्री पल्लव लोचन दास
4. चौधरी अली केसर महबूब
5. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
6. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री सुन्दर प्रसाद दास - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - सहायक निदेशक

X X X X X

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

X X X X X

3. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित **निम्नलिखित** चार (04) प्रारूप **प्रतिवेदनों** को विचार करने के लिए लिया :-

(एक)**X** **X** **X** **X** **X**;

(दो) **X** **X** **X** **X** **X;**

(तीन) राष्ट्रीय शीत-श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के संबंध में अपने 39वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

(चार) **X** **X** **X** **X** **X**

4. विचार विमर्श के पश्चात, समिति द्वारा उपर्युक्त प्रतिवेदन और की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को स्वीकर कर लिया गया है और समिति द्वारा सभापति को, प्रतिवेदन / की-गई-कार्रवाई **प्रतिवेदनों** (वर्णनात्मक भाग) के तथ्यात्मक सत्यापन के अनुसार इन प्रतिवेदनों/की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को तैयार करने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

5. समिति ने इन प्रतिवेदनों को संसद में प्रस्तुत करने हेतु माननीय सभापति को प्राधिकृत किया।

X **X** **X** **X** **X**

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।